बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/आ०2-10150/2025- 527 पटना, दिनांक- 14/03/2026

माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक-05.12.2025 को विभागीय कार्यो की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर अन्तर्गत CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में शिकायतें लंबित है एवं शिकायतों को बिना निष्पादित किए हीं Portal पर निष्पादित दिखा दिया गया है। साथ ही प्रमंडलान्तर्गत अत्यधिक मात्रा में विद्युत विपत्रों का भुगतान लंबित है। उक्त आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2421-सह-पठित ज्ञापांक-2422, दिनांक-12.12.2025 द्वारा श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया। विभागीय पत्रांक-498, दिनांक-09.03.2026 द्वारा श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी है।

02. श्री कुमार के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2421, दिनांक-12.12.2025 के क्रम में अपने पत्रांक-शून्य, दिनांक-06.02.2025 द्वारा एक अभ्यावेदन विभाग को समर्पित करते हुए स्वयं को निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में निलंबन के कारण स्वयं के आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय रहने के साथ ही परिवार के समक्ष आर्थिक कठिनाई एवं प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने का उल्लेख करते हुए स्वयं के सामाजिक रूप से कुंठित होने का उल्लेख किया गया है।

03. विभाग द्वारा श्री कुमार से प्राप्त आवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त विभाग में कार्यपालक अभियंताओं की कमी, आसन्न गर्मी, CGRC Portal पर लंबित शिकायतों एवं लंबित विद्युत विपत्रों की अधिकता के दृष्टिगत कार्यहित में उन्हे निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

04. अत: वर्णित स्थिति में श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता(निलंबित), मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

05. श्री कुमार को निलंबन अवधि में प्राप्त जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य वेतन/भत्ते के संबंध में निर्णय उनके विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

06. श्री कुमार, निलंबन से मुक्त होने के पश्चात विभागीय मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

134

07. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

14/03
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-10150/2025- 528 पटना, दिनांक- 14/03/2026

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन कोषागार, नेहरू पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-10150/2025- 528 पटना, दिनांक- 14/03/2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु० एवं का०प्र०) कोषांग/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-01, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियंता(निलंबित), मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)